कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.)

// महत्वपूर्ण सूचना //

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.) द्वारा **अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित स्टेनोग्राफर अंग्रेजी(नियमित)** के 01 पद पर भर्ती के संबंध में, **कौशल(प्रायोगिक) परीक्षा 2024** में सम्मिलित अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त परीक्षार्थियों की मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदत्त प्राप्तांक सूची का, चयन समिति द्वारा सूक्ष्म अवलोकन किया गया ।

प्राप्तांक सूची के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा, कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के संबंध में, सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति की **कंडिका–02 की टीप–अ में उल्लेखित शर्त –**

> **"कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा",** की पूर्ति नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भी परीक्षार्थी द्वारा, **अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित स्टेनोग्राफर अंग्रेजी(नियमित)** के लिए आरक्षित 01 पद पर उत्तीर्ण होना नहीं पाया गया है । इस कारण कौशल परीक्षा उपरांत, भर्ती के संबंध में साक्षात्कार हेतु भी कोई परीक्षार्थी पात्र होना नहीं पाया गया है ।
>
> **अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित स्टेनोग्राफर अंग्रेजी(नियमित)** के **01 पद** पर भर्ती के संबंध में, कौशल परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी के उत्तीर्ण नहीं होने के कारण, उक्त पद पर भर्ती के संबंध में अनुसूचित जनजाति वर्ग के परीक्षार्थियों का साक्षात्कार लिया जाकर, पदों पर भर्ती किया जाना संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में **अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित स्टेनोग्राफर अंग्रेजी(नियमित)** के **01 पद,** योग्य अभ्यर्थियों के चयन के अभाव में **रिक्त रखा जाना,** चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया है, जिसका **अनुमोदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जशपुर** द्वारा भी किया गया है ।

स्थान– जशपुर ।
दिनांक–17.09.2024

सही/–
अध्यक्ष, चयन समिति
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जशपुर(छ.ग.)

Desk/New Bharti 2024/Bharti Letter/Suchna